

नई नीति को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश भर में एक हजार केंद्र बनेंगे वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशकों को भूमि खरीद पर 30 से 50% छूट

तैयारी

लखनऊ विशेष संवाददाता। यूपी सरकार देश विदेश की कंपनियों को ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने में निवेश के लिए बड़ी रियायतें देने जा रही है। इसमें जमीन खरीद पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, साथ ही स्टांप ड्यूटी की भी प्रतिपूर्ति होगी।

यूपी के हर हिस्से में इस तरह कुल 1000 ऐसे ही सेंटर खुलेंगे। इनके जरिए पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नई वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 के मसौदे को जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी के तहत गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में जमीन खरीदने पर तीस प्रतिशत की छूट होगी। बाकी पश्चिमी यूपी व मध्य यूपी में यह छूट 40 प्रतिशत की व बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत की छूट होगी। पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम



05 लाख लोगों के रोजगार का होगा इंतजाम

■ निवेशकों को स्टांप ड्यूटी से लेकर ब्याज अनुदान तक भारी रियायतें नई नीति के तहत दी जाएंगी

क्या है जीसीसी की अहमियत

जीसीसी अब किसी कंपनी की व्यवसाय प्रक्रिया संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। वे शोध, और विकास, डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डवलपमेंट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर पर निर्भरता बढ़ रही है। यह केंद्र नवाचार के हब के रूप में काम कर रहे हैं।

यह होगा यूपी को फायदा, आर्थिक ताकत और रोजगार में इजाफा होगा

यूपी में जीसीसी बनने से राज्य की आर्थिक ताकत व रोजगार में इजाफा होगा। खास तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कन्सलटेंसी संबंधी सेवाओं में तेजी से प्रगति होगी। इससे आईटी पार्क व विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों का विकास होगा। सरकार इस नीति के जरिए चाहती है कि देशी व विदेशी कंपनियां यहां जीसीसी केंद्र स्थापित करें। जीसीसी के लिए ग्लोबल हब, सेटेलैइट आफिस, आउटसोर्स सेंटर व आउटपोस्ट क्लस्टर आफिस पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की मंशा महानगरों के अलावा अन्य तेजी से आगे बढ़ते बड़े शहरों में सेटेलैइट आफिस व आउटसोर्स सेंटर बनाने की है। यही नहीं जैसे जैसे जीसीसी सेंटर बढ़ेंगे शहरों में जीवन स्तर गुणवत्ता बेहतर होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं व मनोरंजन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इसके लिए तकनीकी तौर पर दक्ष युवाओं की जरूरत होगी।

10 से 25 करोड़ तक होगी। टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज में रियायत मिलेगी। आपरेशनल एक्सपेंस सब्सिडी के लिए 20 प्रतिशत की दर से रियायत मिलेगी। इसमें बैंडविड्थ खर्च,

डेटा सेंटर सेवा खर्च, लीज रेंट शामिल हैं। इसके अलावा रोजगार देने पर भी शर्तों के साथ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। भविष्य निधि खाते में नियोक्ता के हिस्से की भी प्रतिपूर्ति होगी। प्रत्यक्ष

विदेशी निवेश पर कम से कम 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए यूपी सरकार एकीकृत तकनीकी सहयोग समूह का गठन करेगी।